18/संख्या-837/94-7-2015-700(212)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
निबंधन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग लखनऊ दिनांक 10 जुलाई, 2015

विषयः- औद्योगिक इकाई के विवादग्रस्त भूखण्ड के आवंटन एवं उसके अभ्यर्पण के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क की छूट से संबंधित बैंक गारण्टी अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मै0 मर्चन्डाइजिंग प्रा0 लि0 के पत्र संख्या रहित दिनांक, 22 जून, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि उन्हें नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या सी-14ए, सेक्टर-85 नोएडा दिनांक 23 अप्रैल, 2014 को आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड के पट्टा विलेख का निबंधन 05 जून, 2014 को संबंधित उप निबंधक कार्यालय में कराया गया, जिसमें औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-क0नि0-7-79/11-2012-312(98)-2012, दिनांक 5.12.2012 के अनुरूप कुल स्टाम्प शुल्क की देयता का 25 प्रतिशत रू0 1,65,700/- के स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया तथा अवशेष 75 प्रतिशत के लिए रू0 4,96,875/- की बैंक गारण्टी दिनांक 24.5.2014 को प्रस्तुत की गयी। किन्तु कालान्तर में उक्त भूखण्ड के विवादग्रस्त होने का तथ्य संज्ञान में आने एवं उस पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा स्थिति के आदेश होने के कारण दिनांक 15 जनवरी, 2015 को उक्त भूखण्ड का अभ्यर्पण पट्टा विलेख निष्पादित कराया गया। तत्क्रम में उक्त कंपनी द्वारा उक्त भूखण्ड के पट्टा विलेख के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क की धनराशि रू0 1,65,700/- को वापस किये जाने तथा औद्योगिक निवेश नीति के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों अन्तर्गत छूट प्राप्त करने विषयक जमा करायी गयी बैंक गारण्टी को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

http://sifasandesh.up.nic.in

2. उपरोक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त भूखण्ड के विवादग्रस्त होने के कारण संबंधित संस्था द्वारा उक्त भूखण्ड पर औद्योगिक इकाईयों को छूट विषयक अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 के अन्तर्गत शर्तें पूर्ण करना सम्भव नहीं है, तथा इसके लिए उद्यमी संस्था का कोई दोष नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे पट्टा विलेख के सापेक्ष संस्था द्वारा जमा करायी गयी बैंक गारण्टी को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

3. अन्य समरूप प्रकरणों में भी तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
2. सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
3. निदेशक, मै0 मर्चन्डाइजिंग प्रा0 लि0, बी-26, सेक्टर-2, नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in